

खबर संक्षेप

व्यय प्रेक्षक ने किया

निरीक्षण, देखे दस्तावेज



सतना। लोकसभा निर्वाचन के लिए सतना संसदीय क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक (आईआरएस 2014 बैच के अधिकारी) स्पेंसर एम मिल्लियम ने गुरुवार को संयुक्त कलेक्टर भवन स्थित मीडिया प्रकोष्ठ, एमसीएमसी, सी-विजिल डीसीसी, 1950, शिकायत प्रकोष्ठ और व्यय लेखा टीम प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्विनिल जी वानखेडे, शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गोविन्द सोनी, एमसीएमसी मीडिया प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी राजेश सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

अवैध शराब बिक्री करने के आदतन अपराधी से भारी मात्रा में शराब बरामद

सतना। सभापुर कोतवाली पुलिस ने शराब बिक्री करने के आदतन अपराधी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस की जारी विज्ञापित में दी गई। आरोपी का नाम अनिल उर्फ पिंकी उर्फ मुरतबा बताया गया है। पुलिस सूत्रों को मुताबिक मुखविलों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में प्रत्येक बोरी में 3-3 क्वार्टन छिपाई गई कुल 6 क्वार्टन खाकी कलर की मिली जिनमें प्रत्येक क्वार्टन में 50 नग 180 एमएल जिसमें अंग्रेजी गोवा विस्की शराब कुल 300 पाव शीशी कीमती 32,100 जपत की गई है।

नरवाई जलाने पर होगी कार्यवाही

सतना। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने गेहूं फसल की कटाई के बाद नरवाई (फसल अवशेषों) जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यदि किसी भी व्यक्ति या कृषक द्वारा नरवाई जलाने की सूचना संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आदेश में बताया गया है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट 1981 (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) के तहत फसल कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है।

अवकाश के दिनों में भी जोन कार्यालय एवं मुख्यालय खुले रहेंगे

सतना। नगर पालिक निगम द्वारा सभी कर्दादाओं को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त में मात्र 3 दिवस शेष है। कर्दादा सुमता पूर्वक अपने कर्तव्य का भूगतान कर सके जिसके लिए आधुनिक के आदेशानुसार दिनांक 29 से 31 मार्च तक अवकाश दिनों में भी सभी जोन कार्यालय एवं निगम मुख्यालय में वसूली कार्य सुचारु रूप से संचालित रहेंगे। जनसंपर्क अधिकारी ने एक विज्ञापित में बताया है कि कर्दादाओं से अनुरोध है वित्तीय वर्ष समाप्त के पूर्व अपने कर्तव्य का भूगतान कर 15 प्रतिशत अधिभार से बचें।

रेलवे के टिकट घर में चिल्लर की किल्लत, 10 रुपए के लिए 500 का नोट जमा कराया

सतना। पश्चिम मध्य रेलवे के सतना रेलवे जंक्शन में अधिकारियों की अनदेखी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि टिकट घर में चिल्लर की भारी किल्लत है जिसकी वजह से लोगों की ट्रेन भी छूट रही है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 10 रुपए के लिए टिकट घर में मौजूद कर्मचारियों द्वारा लोगों के 500 रुपए जमा करा लिए जाते हैं। गुरुवार को कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सुबह रीवा से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के

आने के पहले घटित हुआ। बताया जाता है कि यात्री द्वारा इंटरसिटी की सतना से जबलपुर के लिए चार टिकट लेने के लिए जब 500 का नोट दिया गया तो ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी ने टिकट देना तो दूर 500 जमा करा लिए और यात्री से 10 रुपए चिल्लर लाने के लिए कहा गया। जिस वक्त महिला कर्मचारी ने इस तरह का व्यवहार किया उस वक्त यहां पर जबरदस्त भीड़ थी जम 10 रुपए चिल्लर ढूँढ कर यात्री ने महिला कर्मचारी को दिया तब जाकर उसे टिकट मिल सका।



महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चिल्लर को लेकर कई लोग लाइन पर खड़े थे लेकिन

महिला कर्मचारियों ने उक्त यात्री को इंतजार करने के लिए नहीं कहा बल्कि चिल्लर ढूँढ कर लाने के लिए कहा।

बातचीत का तरीका भी ठीक नहीं

यात्री ने बताया कि महिला कर्मचारी ने चिल्लर लाने के लिए जिस अंदाज में कहा और जिस तरीके से उसके द्वारा एक यात्री से बातचीत की गई वह सकारात्मक नहीं रहा। बताया जाता है कि इस तरह की स्थिति यहां पर

प्रतिदिन निर्मित होती है लेकिन अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण एक ओर जहां व्यवस्था बिगड़ रही है वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भी बे लगाना होते जा रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि उनका सतना से तबादला कर दिया जाए और वह जहां से आए हैं वहां चले जाएं इसीलिए इस तरह का व्यवहार यात्रियों से करते हैं। उनका सोचना है कि कोई ना कोई शिकायत करेगा तो उनका तबादला कर दिया जाएगा।

पहले दिन कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ



सतना। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में संपन्न होने वाले संसदीय क्षेत्र सतना के लिये निर्वाचन की अधिसूचना गुरुवार 28 मार्च को जारी हुई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। नाम-निर्देशन दाखिल करने के पहले दिन कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। लोकसभा निर्वाचन 2024 में नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर परिसर के कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक एफ-2 में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा अनुराग वर्मा के समक्ष प्राप्त: 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 4 अप्रैल तक सार्वजनिक अवकाश के दिन 29 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संख्या 5 अप्रैल को की जाएगी। जबकि नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 8 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे तक हो सकेगी। इसी दिन अपराह्न 3 बजे के उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान 26 अप्रैल को होगा तथा मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नाम निर्देशन पत्र तथा दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 ख तथा प्रारूप-26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये नामांकन दाखिल करने का शुरु हुआ सिलसिला



उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान अधिकतम तीन वाहनों को कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी। नामांकन के समय कलेक्टर न्यायालय में रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति है। कलेक्टर ने बताया कि प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तविक समय को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। नाम निर्देशन के समय जन समूह एवं वाहनों की संख्या पर नियंत्रण और कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही कार्यालय परिसर के प्रवेशद्वारों में सुरक्षा बलों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है।

इन दिनों में नहीं लिये जायेंगे नामांकन

लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार मध्य प्रदेश में निर्वाचन के दूसरे चरण में 28 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च (गुड फ्राइडे), 31 मार्च (शुक्रवार) और 1 अप्रैल 2024 को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक होगी।

ये नहीं लड़ सकेंगे चुनाव



भारत निर्वाचन आयोग ने सतना और मैहर जिले के 5 अभ्यर्थियों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य (निरह) घोषित किया है। यह सभी व्यक्ति लोकसभा निर्वाचन 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें मैहर विधानसभा क्षेत्र के शिवम पांडेय उर्फ शिबू मंगलभवन के पास मैहर, विधानसभा क्षेत्र सतना के रामोराम गुप्ता केशरी भवन सेवरा के सामने रीवा रोड सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्यालय गंज सतना, श्यामा अहिवाल उर्फ श्यामलाल साकेत बस स्टैंड के पास सतना और शशांक सिंह सोनौरा, बेलहटा सतना के नाम शामिल हैं।

पंजीकृत गैर-मान्यता दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित

भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों के अलावा पंजीकृत गैर-मान्यता दलों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित (आरक्षित) किये हैं। इनमें मध्य प्रदेश राज्य के लिये समाज विकास क्रांति पार्टी को गन्ना किसान, जनसमूह पार्टी को बकेट, राष्ट्रीय मानव पार्टी को नागरिक गैस सिलेण्डर, इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी को बैलून, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी को ब्रिक्स, आदर्श न्याय रक्षक पार्टी को स्टूल, वोट इंडिपेंडेंस पार्टी को लिफाफा, मिशन इंडिपेंडेंस जिस्टिस पार्टी को व्हिसल, किसान क्रांति दल को भोजन युक्त प्लेट और आपका गणतंत्र पार्टी को सिलाई मशीन आवंटित किया गया है।

6 आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बंदर और बाउण्ड ओव्हर की कार्रवाई

सतना। सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 3 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बंदर और 3 अपराधियों के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना नागौद अंतर्गत गंगवरिया निवासी अरुण कुमार उर्फ लालबाबू लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 24 वर्ष, थाना कोलगवां सतना अंतर्गत बारीखुर्द निवासी लक्ष्मीदीन उर्फ गुन्नी उर्फ मुन्नी चौधरी पिता रामलाल चौधरी उम्र 40 वर्ष एवं कबाड़ी टोला कृष्णनगर निवासी विजू बुजेश उर्फ बुजेंद्र तिवारी पिता बृजानंदन तिवारी उम्र 36 वर्ष के विरुद्ध बाउण्ड

ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी आनंद उर्फ शशांक पांडेय पिता देवेन्द्र पांडेय उम्र 25 वर्ष, भरहुत नगर निवासी धीरू तोमर उर्फ विनय सिंह पिता सत्यनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष तथा थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत लवो उर्फ उमंग सिंह पिता महेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया है।

नालियों की सफाई न होने से बजबजा रही नालियों की सड़ांध से जीना हुआ दुश्वार

मैहर। मैहर नगर पालिका के हर वार्ड में समस्याओं का अंवार लगा हुआ है मगर चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। नगर के वार्ड क्रमांक 14 में वार्ड पार्सद मंजू गुप्ता एवं सफाई कर्मियों की निर्षक्रयता के कारण नालियों में भरा गंदा पानी स्थिर होने से सड़ांध मार रहा है। इसी तरह जगह जगह टूटी नालियों से गंदा पानी निकल कर पूरी गलियों में भर जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह नालियों में पल रहे लार्वा एवं मच्छरों के कारण रात में घरों के अंदर सोना मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका के द्वारा मच्छर मारने वाली दवाईयों भी नहीं डाली जाती है। वार्डवासियों के द्वारा बताया जा रहा है कि पहले जो पार्सद थे उनके द्वारा भी वार्ड की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था जिसको लेकर इस बार श्रीमती मंजू गुप्ता को पार्सद चुना गया कि वार्ड के लोगों की समस्याएं कम होगी किंतु कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटक वाली कहवत हो गई है। वार्ड वासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि वार्ड की समस्या को लेकर उनके पास जाते हैं मगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।



प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह



सतना। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन होटल शान पतिजे जबलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिवनी, जबलपुर, कटनी, बरही, डिंडोरी एवं मंडला जिले के डीलरों ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभायी। कार्यक्रम में डीलरों को संबोधित करते हुए जोनल मैनेजर हितेंद्र मिश्रा ने कंपनी के व्यावसायिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए डीलर बन्धुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की तथा बताया कि प्रिज्म सीमेंट के प्रति जो स्नेह व सम्मान डीलर बन्धुओं का मिल रहा है वह सराहनीय है। कार्यक्रम में रीजनेल मैनेजर सुधीर उपाध्याय ने भी कंपनी की नीतियों एवं पारदर्शिता के ऊपर प्रकाश डाला व बताया कि आज डीलर व सहविक्रेता बन्धुओं के सहयोग से ही प्रिज्म सीमेंट एक गुणवत्ता युक्त ब्रांड के रूप में स्थापित है। जबलपुर क्षेत्र के डीलर बन्धुओं ने प्रिज्म सीमेंट को नई ऊचाईयों पर पहुंचाया है। आज के दिन में प्रिज्म चैम्पियन आल वेदर सीमेंट एवं प्रिज्म चैम्पियन ड्यूराटेक सीमेंट एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कार्यक्रम में सभी जिलों के सेल्स अधिकारी, सेल्स प्रमोटर एवं सी एड एफ भानु जैन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन उमेश गुप्ता एवं गौरव शर्मा (ब्रांच मैनेजर) ने संयुक्त रूप से किया। उपरोक्त जानकारी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के एजीएम सीएसआर एवं जनसंपर्क देवेन्द्र मिश्रा ने दी।

श्रद्धा ने मैहर जिले का नाम किया रोशन

मैहर। ग्राम पंचायत करौंदी उपाध्याय के गांव की बेटी श्रद्धा त्रिपाठी पुत्री जय प्रकाश त्रिपाठी ने जैम आई आईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया में 436 वीं रैंक हासिल कर विध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। श्रद्धा त्रिपाठी गांव में



आईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया में 436 वीं रैंक

रहकर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। श्रद्धा त्रिपाठी मैहर सिविल कोर्ट के एडवोकेट विजय नारायण त्रिपाठी की भतीजी हैं। श्रद्धा त्रिपाठी के इस उपलब्धि पर

अधिवक्ता संघ मैहर के अध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद मिश्रा, बी के गौतम, राजेश गौतम, यश एन तिवारी, राजीव सुक्ता, अनिल तिवारी, देवेन्द्र त्रिपाठी, प्रदीप तिवारी, महेंद्र तिवारी अधिवक्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी विष्णुनाथ पांडे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च वल भविष्य की कामना की है।

होली मिलन समारोह में खेली फूल की होली

मैहर। भाजपा का आरपी पैलेस हाउसिंग बोर्ड में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह में ग्रामीणों को टोली के द्वारा होली फाग का संगीतमय रंगारंग राई होली गीत की प्रस्तुति हुई जिसमें सभी लोग होली में रंगमय हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने ने भी फाग गाकर सभी भाजपा पार्टी के लोगों को शुभकामनाएं प्रदान की। सभी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता होली मिलन के इस समारोह में रंगमय हो गया। इस होली मिलन समारोह में प्रमुख रूप से मैहर विधायक श्रीकांत



चतुर्वेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने, फूल सिंह टेकाम, उमेश प्रताप सिंह लाला, पंकज सिंह पहिरा, नगर पालिका अध्यक्ष गीता संतोष सोनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष शीतल नितिन ताम्रकार, अमित राय, कुलदीप तिवारी, राकेश गुप्ता, विश्व

नाथ सिंह तिवारी, महेश दरियानी, संजय पांडेय, रामकृपाल पटेल, दीपक जगगी, जीतेन्द्र पांडेय, गुलाब सिंह सरना, गीता सोनी, रेखा दुबे, मोनिका देविया, रीता आहुजा, संगीता अग्रवाल, उत्तम पटेल, इंदुपाल पटेल, रवि नंद मिश्रा, सुजीत शिवहरे आदि के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला एवं मण्डल के सभी पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक सहसंयोजक, बुध के अध्यक्ष महामंत्री बी एल ए 2, मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लोकतंत्र की आवाज हूं मैं, मतदान के लिए तैयार हूं मैं

अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर स्थित सामतपुर तिराहा से रेलवे स्टेशन तक मतदाता जागरूकता तथा शांतिपूर्ण एवं मध्यममत मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जनता में विश्वास कायम रखने के लिए प्लेगन मार्च किया गया। प्लेगन मार्च में शहडोल संगम के कमिश्नर बी.एस. जामोद एवं शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर, कलेक्टर आशेष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, अपर कलेक्टर अनम वैष्णव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय सहित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे। प्लेगन मार्च के दौरान सामतपुर तिराहा, आदर्श मार्ग तथा रेलवे स्टेशन में नुककड सभा का आयोजन कर मतदाताओं को मध्यममत होकर मतदान करने की अपील की गई। शहडोल संगम के कमिश्नर बी.एस. जामोद ने कहा कि प्रशासन और पुलिस बल कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षित हैं। शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदाता मतदान तिथि 19 अप्रैल को अपने नजदीकी मतदान केन्द्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक जिम्मेदार नागरिक बनें तथा अपने परिजन व आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मतदाता बिना किसी डर के शत-प्रतिशत मतदान करें। जनता की जान, माल की सुरक्षा के लिए पुलिस, प्रशासन तैनात है। लोकतंत्र की जड़ें मतदाताओं की वजह से ही मजबूत है। आज

हम फरक से कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र विश्व में अग्रणी है। हर वोट निर्णायक है। उन्होंने मतदाता जागरूकता रेलगन लोकतंत्र की आवाज हूं मैं, मतदान के लिए तैयार हूं मैं, हमारा लोकतंत्र महान, आओ करें मतदान, लोकतंत्र का हूं मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया। कलेक्टर आशेष वशिष्ठ ने मतदाताओं से 19 अप्रैल को मतदान केन्द्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग दृढ़ संकल्प के साथ सुनिश्चित करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने कहा कि सभी मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक होकर मतदान तिथि 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ताकि हमारे लोकतंत्र की मजबूती कायम रहे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने कहा कि सभी मतदाता निर्भीक होकर भय, पक्षपात व प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपना मतदान 19 अप्रैल को करें। उन्होंने निर्वाचन के संबंध में बनाए गए सी-विजिल एप के संबंध में जानकारी देते हुए अपील की कि निर्वाचन से संबंधित शिकायतें सी-विजिल एप में करें, जिसका निराकरण 100 मिनट के अन्दर सुनिश्चित होता है। उन्होंने मतदाताओं से मतदान कर जिले की गौरवावृत्त करने की अपील की। प्लेगन मार्च के माध्यम से पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के संदेश तथा जिम्मेदार मतदाता के लिए जनसमुदाय से शत-प्रतिशत मतदान की प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।



अपील की। प्लेगन मार्च के माध्यम से पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के संदेश तथा जिम्मेदार मतदाता के लिए जनसमुदाय से शत-प्रतिशत मतदान की प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।

शिकार के लिए लगाए कंट की चपेट में आया युवक

अनूपपुर। अमरकंटक के दमगढ़ बाँट के फर्रौसेमर के जंगल में मंगलवार की रात जंगली जानवरों के शिकार के लिए शिकारियों ने जी-आईआर से कंट फैलाया था। जिसके चपेट में आने से गांव का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके प्राथमिक उपचार बाद जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद अमरकंटक वन विभाग द्वारा जंगल में अनाधिकृत रूप से जी-आईआर से कंट फैला कर शिकार करने के प्रयास करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से शिकारियों को जेल भेजा गया। वहीं मामले में तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है। ज्ञात हो कि पकड़े गए आरोपी को पूर्व में एस्टीएफ में तैदुआ की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। वन विभाग की जबलपुर स्थित एस्टीएफ टीम द्वारा विगत तीन-चार सालों के मध्य डिंडोरी खाल एवं सामगी जस्त की है। जिसमें वन परिक्षेत्र अमरकंटक राजेंद्रनाथ एवं अहिरगवा के अनेकों आरोपी गिरफ्तार किए गए। वन परिक्षेत्र अमरकंटक के दमगढ़ एवं इस्से लो अन्व वन बाँटों के ऐसे गामीण जो आदलत शिकार के आदी हैं उन्हें भी पकड़ा गया। इसके बाद भी वन विभाग का अमला अवैध शिकार को रोकने में पूरी तरह नकारम नजर आ रहा है। जिसके कारण ही शिकारियों के हाँसेले बंद हुए हैं।

खबर संक्षेप

उम्मीदवार को देना होगा नये बैंक खाते का विवरण
पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 95 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।

अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे शासकीय कार्यालय
पन्ना। लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2024 की घोषणा के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन की प्रक्रिया और चुनाव संबंधी आदेशों एवं जानकारी के आदान-प्रदान के लिये पन्ना जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय सार्वजनिक अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने आदेश जारी करते हुये समस्त कार्यालय प्रमुखों को अवकाश के दिनों में कार्यालय संचालन के लिये कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये हैं।

उम्मीदवार को देना होगा आपराधिक रिकार्ड का विवरण
पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रमानुसार लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के लिए चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है, जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे। जिसे दल द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटर्निंग आफिसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत करेंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों कि जानकारी दी जायेगी।

चौमुखनाथ मंदिर परिसर के नचना कुठारा गांव में 1700 साल पुराना खजाना मिला

मध्य प्रदेश के पन्ना को हीरों, झीलों और मंदिरों का जिला कहा जाता है। यहां सदियों पुराने मंदिर हैं। सदियों पुराने इन मंदिरों में कुछ मौजूद हैं और कुछ जमीन के अंदर दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना को हीरों, झीलों और मंदिरों का जिला कहा जाता है। यहां सदियों पुराने मंदिर हैं। सदियों पुराने इन मंदिरों में कुछ मौजूद हैं और कुछ जमीन के अंदर दबे हुए हैं।

पन्ना।

इस गढ़े हुए ऐतिहासिक खजाने को बाहर निकालने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुरू की है। एएसआई ने नचना कुठारा गांव में चौमुखनाथ मंदिर परिसर में स्थित टीलों की खुदाई की है, उसमें प्रारंभिक चरण में ही जो कुछ मिला है, वह चौकाने वाला है। इस खुदाई में सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और शिवलिंग मिला है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह मंदिर मह से निर्मित किए गए होंगे, जो पहली से पांचवी सदी के बीच के हो सकते हैं। 10 की खुदाई और भी प्राचीन मंदिर व प्रतिमाएं मिलने की संभावना जताई जा रही है।

8 टीलों को किया चिह्नित

जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के



द्वारा पन्ना जिले के नचना कुठारा गांव में स्थित पांचवी सदी के प्राचीन मंदिर चौमुखनाथ मंदिर परिसर में 8 टीलों को चिह्नित किया गया था, जिनमें प्राचीन मंदिर और प्रतिमाओं के मिलने की संभावना 4 मंच से खुदाई का शुरू किया गया है। 15 दिन की खुदाई में दो टीलों की खुदाई हो रही है, जिसमें शिव मंदिर के अवशेष व एक शिवलिंग मिला है।

बरत रहे सतर्कता

पुरातत्व विदों का मानना है कि जब यहां स्थित पार्वती मंदिर गुप्तकालीन पांचवी सदी के मौजूद है, खुदाई में मिला शिवलिंग

व मंदिर के अवशेष देश के सबसे प्राचीन यानी पहली सदी से पांचवी सदी के बीच के हो सकते हैं। हालांकि एएसआई विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में यहां खुदाई का कार्य जारी है, किसी भी प्रकार से शासकीय संपत्ति को हानि न हो उसके लिए 10 पूर्ण रूप सतर्कता बरत रहा है। मजदूरों और हाथ के औजारों से बारीकी से काम किया जा रहा है, खुदाई के दौरान चिह्नित टीलों में धागे का सर्किल बनाया गया है, जहां फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध है। इस कार्य को मुख्य रूप से जबलपुर पुरातत्व विभाग टीम काम कर रही है, नाचना ग्राम पुरातत्व विभाग की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राम है, यहां स्थित पार्वती मंदिर भारत के सबसे

प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो करीब 1600 वर्ष पुराना पांचवी सदी का मंदिर है, उसके बाद करीब सातवीं सदी का चौमुख नाथ मंदिर है, जहां भगवान शिव की चौमुखी प्रतिमा विराजित है।

कलेक्टर ने कहा- मेरी अधिकारियों से बात हुई

पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि नचना ग्राम में स्थित चौमुखनाथ मंदिर में 10 के द्वारा खुदाई करवाई जा रही है। 10 के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है, दूसरी से पांचवी सदी के मंदिर व अवशेष मिलने की वहां संभावना जताई गई है, किसी उद्देश्य में एएसआई के द्वारा वाहन खुदाई का कार्य शुरू किया गया है, उन्होंने हमसे सहयोग मांगा था, जिसको लेकर हमने गुनौर एसडीएम को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है, उम्मीद है कि एएसआई की टीम को वहां प्राचीन मंदिर या स्मारक मिलेंगे।

जिस मंदिर परिसर में हो रही खुदाई, वो छठी शताब्दी का

गुप्तकालीन पार्वती मंदिर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर है, चौमुखी मंदिर के करीब है, जिसे काला चूरी राजवंश (6-7वें भेजे गए) बनाया गया था, यह इतिहास से समृद्ध एक स्थल है, जो खजुराहो से करीब 100 किमी से भी कम दूरी पर है, यहां भारत के सबसे पुराने मंदिर को खोजने के उद्देश्य से यह खुदाई कर रहे हैं, सांचो में मंदिर नंबर 17, नचने पार्वती मंदिर, तिगवास विष्णु मंदिर और भूमराज शिव मंदिर, जिला मुख्यालय पन्ना से करीब 60 किलोमीटर दूर है, यहां गुप्त काल से पहले के मंदिरों को खोजने की उम्मीद के साथ ये खुदाई की जा रही हैं।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नाम निर्देशन प्रक्रिया की दी जानकारी



पन्ना।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इस मौके पर उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत गुरुवार से कलेक्टर कार्यालय में अभ्यर्थियों से प्राप्त किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों से संबंधित प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रिया, शपथ पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की जानकारी दी गई। संवीक्षा और नाम वापसी संबंधी प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा नाम निर्देशन संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रिया एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है, जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे। जिसे दल द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटर्निंग आफिसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत करेंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों कि जानकारी दी जायेगी।

निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 28 मार्च से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा और प्रतीक चिह्न आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र भरकर प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रिया, शपथ पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की जानकारी दी गई। संवीक्षा और नाम वापसी संबंधी प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा नाम निर्देशन संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रतिक्रिया एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है, जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे। जिसे दल द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटर्निंग आफिसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत करेंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों कि जानकारी दी जायेगी।

उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जमानत राशि

लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार ई-चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

नामांकन भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफिसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमें प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।

चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न

नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 'ए' निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है उसको प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारीयें प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा।



पेड़ पर फंदे में लटकता मिला तेंदुए का शव, दक्षिण वन मंडल में हड़कंप

डीएफओ, एसडीओ व रेंजर सहित गारी वन अमला मौके पर

पन्ना। जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र पवई के पिपरिया दोन में जंगल से लगे एक खेत की बाड़ में लगे फंदे में लटकते मिले तेंदुए के शव की खबर से हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए के शव में फंसने के बाद सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वन विभाग को सूचित किया गया लेकिन जब तक वन अमला रेंड्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा तब तक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और तेंदुए का शव बाड़ में फंदे पर उल्टा लटकता हुआ मिला। सूचना मिलते ही दक्षिण वन मंडल के डीएफओ पुनीत सोनकर ने बताया कि पंचनामा उपरांत शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है फॉरेंसिक टीम द्वारा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह शिकारी के द्वारा शिकार के उद्देश्य से लगाया गया फंदा है या



फिर खेत की बाड़ में लगे तार में तेंदुआ संयोग से फंस गया है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि पहले तो वन कर्मियों के द्वारा मामले को छिपाने का प्रयास किया गया और लोगों को फोटो खींचने या वीडियो बनाने से रोका गया लेकिन कुछ ही देर में इसकी सूचना जिले भर के वन्य प्राणी प्रेमी एवं अधिकारी जनप्रतिनिधियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गई जिससे अब मामले को दबाने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब देखा यह होगा कि विवेचना में क्या सामने आता है।

ग्राम सुनादर में हुई हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार



पवई। बीते 25 मार्च को पवई थाना के ग्राम सुनादर में ग्राम के ही सिपाही लाल आदिवासी ने पुरानी रंजिश के चलते प्रकाश आदिवासी की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर फरार हो जाने का मामला सामने आया था, जिस पर पवई पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर हत्या के फरार आरोपी को तलाश शुरू कर दी थी, पन्ना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एसडीओपी सौरभ तलाश के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र शिवेदी द्वारा टीम गठित कर मुखबिर् की सूचना पर ग्राम के पास एक खेत से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इस संपूर्ण कार्रवाई में अवधेश दुबे, गणेश सिंह, प्रेम नारायण जितेंद्र गोयल, सुशील राहुल अहिस्वार, सैजिक पूरन सिंह, सैजिक राजेंद्र बागरी, मणिराज बागरी व पुलिस टीम का सहायनीय योगदान रहा।

मार्शल आर्ट खिलाड़ी लखनऊ के लिए हुए रवाना

चार मार्शल आर्ट जु-जित्सु खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया चयन

पन्ना।

फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना एवं जिला जु-जित्सु संघ पन्ना के चार जु-जित्सु मार्शल आर्ट खिलाड़ी पीयूष विश्वकर्मा, अनमोल सेन, अर्धव गौतम एवं दिव्यांश साहू का राष्ट्रीय जु-जित्सु प्रतियोगिता के लिए चयन किया है। यह प्रतियोगिता 28 मार्च से 03 अप्रैल 2024 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। पीयूष विश्वकर्मा का चयन सीनियर बालिका वर्ग के 56 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ है, अनमोल सेन का चयन 52 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ है, अर्धव गौतम का चयन 36 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ साथ ही दिव्यांश साहू का चयन 42 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ है। चारों खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित 9 वीं राज्य स्तरीय जु-जित्सु प्रतियोगिता भोपाल में स्वर्ण पदक जीता है। जिला जु-जित्सु संघ पन्ना के संचय इरफान खान ने बताया कि पीयूष, अनमोल, अर्धव और दिव्यांश चारों ही बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने



अपने दमदार खेल के प्रदर्शन से राष्ट्रीय जु-जित्सु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए चयन हासिल किया है। उन्होंने कहा कि चारों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मार्शल

आर्ट खिलाड़ियों कि उपलब्धि पर पन्ना के खेलप्रेमियों ने खुशी व्यक्त की है। जिला जु-जित्सु संघ पन्ना के अध्यक्ष लॉरेंस एट्रेस ने कहा कि सभी खिलाड़ियों की उपलब्धि पन्ना के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने कड़ी मेहनत और

लगन से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों एवं कोच इरफान खान को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। जु-जित्सु एक मार्शल आर्ट है जो आत्मरक्षा और शारीरिक फिटनेस के लिए जाना जाता है। यह खेल एशियाई खेलों, एशियाई ब्रीच खेलों, एशियाई इंडोर खेलों, वर्ल्ड खेलों, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों, भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे कई ओलंपिक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल है। विजेन्द्र खरसोदिया अध्यक्ष मध्य प्रदेश जु-जित्सु संघ, लॉरेंस एट्रेस अध्यक्ष जिला जु-जित्सु संघ पन्ना, इरफान खान सचिव जिला जु-जित्सु संघ पन्ना, नईम खान संचालक चिरडून पब्लिक स्कूल पन्ना, पहलवान सिंह संरक्षक फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना, हर्षिता विश्वकर्मा प्रशिक्षक, सैफ उल्ला संचालक पन्ना हेल्थ क्लब, बलराम सेन, धर्मेन्द्र विश्वकर्मा, ने खिलाड़ियों व कोच इरफान खान को शुभकामनाएं दी।

खबर संक्षेप

युवा व मातृ शक्तियों ने साईं मंदिर में किया रक्तदान



छतरपुर। जिनके हौसलों में उड़ान में दम होती है वहीं आसमान की बुलंदियां छूते हैं और वही करते हैं। रक्तदान आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी दी कि छतरपुर शहर के नव दंपति अपने परिवार के साथ शिडी के साईं मंदिर दर्शन को गए थे। वहीं पर मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा था। यह देखकर वैभव अग्रवाल और उनकी पत्नी पल्लवी गुप्ता ने वहां स्वेक्षिक रक्तदान किया साथ ही उनके रक्तदान से प्रेरित होकर उनकी भनेज बहु रूपल सिंघल जो साथ गई थी ने भी रक्तदान किया। यह नव दंपति वरिष्ठ समाजसेवी हरी अग्रवाल के पुत्र हैं जो स्वयं अभी तक 160 बार से अधिक रक्तदान कर चुके हैं। वहीं वैभव अग्रवाल रूपाली गुप्ता और रूपल सिंघल को डा विखे पाटिल मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

चंदला की बनाएंगे नगर पालिका: डॉ. मोहन यादव

छतरपुर। अपने उद्बोधन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चंदला विधायक और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार की मांग पर आज वे यह घोषणा कर रहे हैं कि आचार संहिता हटाने के बाद चंदला नगर परिषद को नगर पालिका बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चंदला विधानसभा में एलोपैथी कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू कराने का ऐलान भी मंच से किया। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संदेव किसान हितैषी रही है और आज भी किसानों के साथ खड़ी हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है वे चिंतित न हों, उनके एक-एक रुपए के नुकसान की भरपाई हमारी सरकार करेगी।

जन्मदिन पर दुर्गेश ने किया प्रसूता के लिए रक्तदान



छतरपुर। जन्मदिन पर अच्छे कार्यों की आती है तो रक्तदान कर युवा अपना जन्मदिन मनाना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। रक्तवीर सेवा दल के अमित जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता को ऑपरेशन में अत्यधिक ब्लॉडिंग हो जाने पर मरीज की अचानक हालत बिगड़ गई और उक्त ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। ऐसी इमरजेंसी हालात में जन्मदिन पर पत्रकार दुर्गेश शिवहरे ने तुरंत ब्लड बैंक आकर रक्तदान कर प्रसूता की जान बचाई।

मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होली का उत्सव



छतरपुर। होली के मौके पर छात्र-छात्राएं एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी और खेलते हुए होली का आनंद उठाया। होली के गीतों के साथ ही छात्रों ने भी खूबसूरत रंगों से एक-दूसरे को रंगा, जिससे उत्सव में और भी ज्यादा रंग भर गया। यहां छात्रों ने खेल-खिलौनों के साथ मस्ती की और एक-दूसरे के साथ गुलाल उड़ाया। साथ ही, सेल्फीज में यह खास पल को यादगार बनाने का भी अवसर मिला। 8a5 उत्सव का शुभारंभ मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ईशान पटेल ने किया, जिन्होंने अतिथि के रूप में उपस्थित स्टाफ और छात्रों को बधाई दी।

पिछले 25 वर्षों से बुंदेली संस्कृति, कलाओं, खान पान, गीत संगीत आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुंदेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है

बुंदेली उत्सव में विधायक ने गाया लोक गीत



दिया गया तो वहीं समीक्षा के क्षेत्र में राव बहादुर सिंह सम्मान से डॉ एनआर चौरसिया को सम्मानित किया गया। बुंदेली संस्कृति पर वृहद कार्य हेतु राव बहादुर सिंह सम्मान हटा के डॉ एमएम पाण्डेय को दिया गया। लोक कला और परंपरा के क्षेत्र में दिया जाने वाला लोकविद डॉ नरमदा प्रसाद गुप्त सम्मान प्रसिद्ध लोकगीत गायक बट्टी खरे निरंकार को प्रदान किया गया। बुंदेली उत्सव में वर्षों से अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले वृंदावन रेकवार को गौरिहार नरेश स्मृति सम्मान से नवाजा गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देवेंद्र यादव के निर्देशन में रणप्पा नृत्य की प्रस्तुति बाल कलाकारों ने दी तो वहीं अंशिका सिंह ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया। सपना रंगमंच बसारी द्वारा लमटेरा और दादरा, कालीचरण अनुरागी और साथियों ने गारी, बजरंग मंडल के कंदू रेकवार और साथियों ने दामरयाई, सुखलाल आदिवासी और टीम द्वारा कहरवा, दादरा, कमल चतुर्वेदी और साथियों ने बिलवारी, मत्थी बाई और सखियों ने गारी और बिलवारी, बेटी बाई और सखियों द्वारा सोहरे और गारी और हिमालय यादव ने काण्डरे को प्रस्तुति दी।

30 मार्च को होगा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन

छतरपुर। नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा एवं उन्हें चश्मा और दवा भी वितरित की जाएगी। परीक्षण के उपरांत मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन हेतु चित्रकूट भेजा जाएगा। मरीज अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी साथ जरूर लेकर आएंगे।

अवैध हथियारों के प्रति सख्त हुई छतरपुर पुलिस

छतरपुर। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव एवं जिले में प्रमावी कानून व्यवस्था को लागू करने की मंशा से पुलिस और आमजनमानस के बीच सामंजस्य बैटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री जैन ने मोबाइल नंबर 7049100430 जारी करते हुए कहा है कि अगर आम जनमानस को अवैध हथियार या अन्य किसी भी अवैधानिक गतिविधि के संबंध में जानकारी हो तो उक्त नंबर पर जानकारी दें, ताकि पुलिस संबंधित के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही कर सके। एसपी अगम जैन ने कहा कि उक्त नंबर



पर सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम गोपनीय रखा जाएगा और सूचना मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। जारी किए गए नंबर पर ऐसे लोगों की शिकायत भी की जा सकती है जो हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ऐसे लोगों की पोस्ट, स्टेटस आदि का स्क्रीनशॉट और जानकारी मोबाइल नंबर 7049100430 पर शेयर करने पर नजदीकी थाना की पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी। एसपी श्री जैन ने कहा कि पुलिस विभाग अपने स्तर पर अपराधों को रोकने का भरसक प्रयास कर रहा है, जिसमें आम जनमानस का सहयोग भी अपेक्षित है।

क्रॉसिंग के दौरान टैक्सी पलटी, एक की मौत, जांच शुरू

छतरपुर। क्रॉसिंग के दौरान टैक्सी पलट गई, जिससे जगदीश और सीताराम दूर जाकर गिरे और राधेश्याम की टैक्सी के नीचे दबने के कारण मौत हो गई। वहीं मृतक के चाचा रामकृपाल के मुताबिक टैक्सी में मृतक के अलावा परिवार के जो अन्य लोग सवार थे उनके साथ पिछले कुछ दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है। उक्त दुर्घटना में अन्य किसी को चोटें नहीं आई हैं, जिस कारण से उन्हें मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद राधेश्याम को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां मौत की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया।



परिजनों ने मामले को बताया संदिग्ध

आगजनी में तबाह हुई दो किसानों की फसल

छतरपुर। बिजावर क्षेत्र के ग्राम भरतपुरा में दो किसानों की फसल अज्ञात कारणों से लगी आग की चपेट में आकर खाक हो गई है। उक्त घटना के बाद से दोनों किसानों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और उनके द्वारा शासन-प्रशासन से क्षतिपूर्ति किए जाने की मांग की गई है। ग्राम भरतपुरा निवासी किसान भूरा अहिरवार और कल्लू अहिरवार ने बताया कि उनके खेतों में गेहूं की पकी फसल खड़ी हुई थी। गुरुवार की दोपहर अज्ञात कारणों से उनके खेतों में आग लग गई। आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आसपास के लोगों की मदद से किसानों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक फसल नष्ट हो चुकी थी। आगजनी में दोनों किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उनके परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था रिश्तत मांगने का ऑडियो भ्रष्टाचार में नपे गौरिहार के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

छतरपुर। पिछले दिनों गौरिहार के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक महिला शिक्षिका से रिश्तत मांगे जाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को मीडिया द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान में लिया और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर को जांच के निर्देश दिए। जांच में दोष सिद्ध होने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर द्वारा गौरिहार के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है। कमिश्नर कार्यालय सागर से जारी आदेश में उल्लेख है कि सोशल मीडिया पर रिश्ततखोरी के वायरल ऑडियो के प्रकरण की संयुक्त



देश को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में करें मतदान: डॉ. मोहन यादव



मुख्यमंत्री ने चंदला में जनसभा को किया संबोधित, गिनाई भाजपा की उपलब्धियां

छतरपुर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का आह्वान करने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को छतरपुर जिले की खजुराहो लोकसभा अंतर्गत आने वाले चंदला नगर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह के समक्ष कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार द्वारा जनता तथा देश के हित में किए गए कार्यों को बताकर आगामी चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। शाद, करीब 5 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, खजुराहो लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के साथ चंदला की बड़ी फील्ड में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे और यहां से कार के माध्यम से चंदला की सब्जी मंडी में बनाए गए सभा स्थल पर पहुंचे। सभा में उपस्थित लोकसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राममंदिर के उद्घाटन में जाने से इंकार करने वाले कांग्रेसियों को हमें चुनाव में करारा जवाब देना है। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई जनहित की योजनाओं को बंद किया था और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें पुरा कर रहे हैं। सीएम डॉ. यादव ने मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि अगर भारत को विकसित और समृद्ध बनाना है तो आगामी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना। उन्होंने छतरपुर के मेडिकल कॉलेज, केन-बेतवा लिंक परियोजना, खजुराहो पायलट प्रशिक्षण केन्द्र, वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई उपलब्धियां जनता को बताईं जो भाजपा सरकार में छतरपुर की जनतार को मिली हैं। इस मौके पर चंदला विधायक एवं राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, राजनगर विधायक अरविंद पटैरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बांवी राजा सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी, विधानसभा अंतर्गत आने वाले 255 वृथ और 4 मंडलों के अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर में कुलपति प्रो. शुभा तिवारी के मार्गदर्शन में 'भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और जीवन विज्ञान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 1 व 2 अप्रैल को किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु प्राध्यापकों की एक आयोजन समिति बना कर उन्हें दायित्व सौंपे गए हैं।

छतरपुर। पहले दिन 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से उद्घाटन सत्र प्रो.अनिनाश तिवारी, कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य वक्ता प्रो एडी शर्मा डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर रहेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. शुभा तिवारी करेंगी। प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रो एडी शर्मा, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर करेंगे, इस सत्र में वैश्विक ज्ञान परंपराओं में साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्ति तुलनात्मक अध्ययन विषय पर वक्ताद्वय प्रो ओमप्रकाश सिंह जेएनयू, दिल्ली तथा प्रो बी आई गुरू, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर अपना अध्यक्षता देंगे। द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रो बी आई गुरू डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर करेंगे। इस सत्र में 'वैदिक परम्परा और शिक्षा विषय पर वक्ताद्वय प्रो शंतीश कुमार शुक्ला जेएनयू दिल्ली तथा डॉ किरण आर्या डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के व्याख्यान के साथ साथ अन्य विद्वान शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी के दूसरे दिन 2 अप्रैल को तृतीय तकनीकी सत्र में 'प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति विषय पर वक्ताद्वय प्रो एसएन चौधरी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल तथा प्रो माया इंगल डीएवीबी इंदौर के व्याख्यान होंगे। चतुर्थ तकनीकी सत्र में 'जनजातीय ज्ञान और उसका अनुप्रयोग विषय पर वक्तात्रय प्रो रंजू हसीनी साहू, आईजीएनटीयू अमरकंटक, प्रो मनीष मिश्रा सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायसेन तथा डॉ मनोहर बी यर्कलवार आईजीएनटीयू अमरकंटक अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता प्रो एसएन चौधरी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय करेंगे। कुलपति प्रो शुभा तिवारी की अध्यक्षता में समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रो राजाराम यादव पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय रहेंगे। इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन प्रभारी डा ममता बाजापेई को बनाया गया है। डा दुर्गावती सिंह तथा श्रीमती निफिता यादव आयोजन सचिव बनाई गई हैं। इससे अलावा अन्य समितियां भी बनाई गई हैं, जो अपने काम को अंतिम रूप दे रहें हैं।

खबर संक्षेप

अंकसूची के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करें - कमिश्नर
रीवा। कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड ने कहा है कि कई विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अंकसूची प्राप्त न होने से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र लंबित हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सभी विद्यार्थियों को तीन दिवस में अंकसूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तथा अंकसूची उपलब्ध न होने से उनका आवेदन लंबित है। ऐसे सभी विद्यार्थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव से संपर्क कर अपनी अंकसूची प्राप्त करें। अंकसूची अपने कालेज के प्राचार्य के माध्यम से नोडल प्राचार्य को उपलब्ध कराएं जिससे छात्रवृत्ति के आवेदन का सत्यापन कर भुगतान किया जा सके।

रिपोर्ट भेजने के लिए नोडल अधिकारी तैनात रीवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अपर कलेक्टर को लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन एवं मतदान के एक दिन पूर्व निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी से प्राप्त सूचनाओं के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने के लिए तैनात किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक दो घंटे में दी जाएगी।

अवकाश के दिनों में नहीं दाखिल होंगे नामांकन पत्र

रीवा। लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि अवकाश के दिनों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि में 29 मार्च गुड फ्राइडे, 31 मार्च रविवार तथा एक अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। शेष दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जा रहे हैं।

बाइकों में भिड़त के बाद लगी आग, युवक झुलसा

कटनी। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खिरहनी ओवरब्रिज में बुधवार की सुबह दो मोटर साइकिलों की आमने-सामने की भिड़त हो गई। दोनों बाइकों में हुई सीधी भिड़त के बाद एक बाइक में अचानक आग लग गई। घटना में बाइक सवार भी झुलसा गया है। हादसे का शिकार हुए दोनों बाइक चालकों को घायल अवस्था में शासकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक में आग लगने के कारण काफी देर तक ब्रिज के आसपास खलबली मची रही। जानकारी अनुसार दुबे कॉलोनी की तरफ से एक बाइक सवार तेजी से गर्ग चौराहे की तरफ जा रहा था। इसी दौरान घंटाघर की तरफ से आ रहे एक अन्य बाइक सवार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिलों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि एक बाइक में आग भभक उठी। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। हादसे में एक बाइक सवार झुलसा भी गया है और दोनों ही बाइक सवारों को टक्कर के कारण चोटें आई हैं।

होली पर्व में उत्पात मचाये वालों को भेजा गया जेल

कटनी। होली पर्व के दौरान झिंझरी चौकी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चार व्यक्ति उत्पात मचा कर सामाजिक शांति को भंग कर रहे हैं। वे होली त्योहार को बेरंग करने में लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बहुत समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वे नहीं माने तथा भारी बवाल करने लगे जिसके पश्चात चारों असामाजिक तत्वों राजीव उर्फ बड्डी चौधरी, लल्लू चौधरी, छुन्ना चौधरी, एवं मुन्ना चौधरी को धारा 151 जाफरी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।

अंकसूची न मिलने से छात्रवृत्ति रुकी तो कुल सचिव पर होगी कार्रवाई: कमिश्नर

छात्रवृत्ति के सभी प्रकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें
कमिश्नर कार्यालय समागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड ने छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि शासन द्वारा पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है।



किसी की लापरवाही से यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह गया तो दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। हर पात्र विद्यार्थी से समय पर आवेदन दर्ज कराकर उसे छात्रवृत्ति का लाभ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। छात्रवृत्ति के आवेदन के सत्यापन तथा भुगतान के सभी प्रकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। जिन शासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने पात्र विद्यार्थियों के आवेदन नहीं कराए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ अनिवार्य रूप से दें। समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कहा कि कई नोडल अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अंकसूची जारी नहीं की गई है। अंकसूची के अभाव में छात्रवृत्ति के आवेदन अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव तीन दिवस में सभी विद्यार्थियों को अंकसूची उपलब्ध कराएं। अंकसूची के अभाव में यदि छात्रवृत्ति का 31



मार्च तक भुगतान नहीं होता है तो कुलसचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। छात्रवृत्ति का भुगतान विश्वविद्यालय को करना होगा। कमिश्नर ने टीआरएस कालेज रीवा में छात्रवृत्ति के 109 आवेदन लंबित रहने पर प्राचार्य को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि छात्रवृत्ति के सभी नोडल अधिकारी लंबित आवेदन पत्रों का तत्काल सत्यापन करें। आवेदन पत्र दर्ज कराने में देरी करने वाले प्राचार्यों पर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रभारी जिला संयोजक सभी स्वीकृत आवेदनों में तत्काल राशि जारी करा दें। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग भी लंबित आवेदनों की शिक्षण संस्थावार सूची बनाकर उनका सत्यापन कराकर भुगतान कराएं। बैठक में बताया गया कि रीवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में 14 हजार से अधिक विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए 7218 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है जिसमें से 4417 को मंजूर कर दिया गया है। संकुल प्राचार्यों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदनों का सत्यापन करके भुगतान किया जा रहा है। बैठक में कुलसचिव सुरेन्द्र सिंह, प्रभारी जिला संयोजक तथा संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके त्रिपाठी, प्राचार्य टीआरएस कालेज अर्पिता अवस्थी, प्राचार्य कन्या महाविद्यालय विभा श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता, उपायुक्त डीएस सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

यातायात पुलिस ने ट्रिंक एंड ड्राइव पर लगाया 94500 का जुर्माना



रीवा। पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देशन पर होली के त्योहार को देखते हुए एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा एवं स्टाफ द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान 09 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाने हुए पाए गये जिस पर ब्रैथ एनालाइजर से सभी का मेडिकल कराया गया एवं प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वाहन न एमपी 17 zc 5516 के वाहन चालक वीरेंद्र द्विवेदी एमपी 17cb 3561 का चालक सच्चिदानंद



शुक्ला एमपी 19 nd 8267 का चालक नागेंद्र सिंह एमपी 17cb 3787 का वाहन चालक आदर्श शुक्ला एमपी 17 cz 6336 का चालक लाल यादव एमपी 17 सीसी 5740 का चालक शिवम सिंह परिहार एमपी 17 zd 5776 का चालक विकास साकेत एमपी 17 zf 0889 का चालक वीरेंद्र

कांग्रेस की लोस प्रत्याशी ने कई गांवों का किया भ्रमण, मतदाताओं से मुलाकात कर जन समस्याओं की ली जानकारी

रीवा। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि रीवा की जनता पिछले 10 सालों से केवल घोषणा ही सुनती चली आ रही है। घोषणा के परिपालन में काम नहीं दिख रहा है। जगह-जगह लोग जानकारियां देते हैं कि केवल आश्वासन देते देते 10 साल सांसद ने बिता दिए, काम कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि कई जगह जनसंवाद के दौरान लोगों ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो रीवा का विकास करने के बजाय मीडिया में बने रहने के लिए टॉयलेट साफ करे। इन्होंने कहा कि जनता काफी जागरूक और समझदार हो चुकी है, किसी के लटकें झटके में आने वाली नहीं। जिस तरह से उत्साहित

रीवा। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि रीवा की जनता पिछले 10 सालों से केवल घोषणा ही सुनती चली आ रही है। घोषणा के परिपालन में काम नहीं दिख रहा है। जगह-जगह लोग जानकारियां देते हैं कि केवल आश्वासन देते देते 10 साल सांसद ने बिता दिए, काम कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि कई जगह जनसंवाद के दौरान लोगों ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो रीवा का विकास करने के बजाय मीडिया में बने रहने के लिए टॉयलेट साफ करे। इन्होंने कहा कि जनता काफी जागरूक और समझदार हो चुकी है, किसी के लटकें झटके में आने वाली नहीं। जिस तरह से उत्साहित



रीवा। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि रीवा की जनता पिछले 10 सालों से केवल घोषणा ही सुनती चली आ रही है। घोषणा के परिपालन में काम नहीं दिख रहा है। जगह-जगह लोग जानकारियां देते हैं कि केवल आश्वासन देते देते 10 साल सांसद ने बिता दिए, काम कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि कई जगह जनसंवाद के दौरान लोगों ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो रीवा का विकास करने के बजाय मीडिया में बने रहने के लिए टॉयलेट साफ करे। इन्होंने कहा कि जनता काफी जागरूक और समझदार हो चुकी है, किसी के लटकें झटके में आने वाली नहीं। जिस तरह से उत्साहित

रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 की अधिसूचना जारी प्रथम दिवस किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन प्रस्तुत नहीं किया

रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के प्रथम दिवस 28 मार्च को किसी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय

मतदाता जागरूकता अभियान का स्वास्थ्य विभाग ने स्वीप रथ को रवाना कर किया शुभारंभ

रीवा। उपरोक्त विषयान्तगत लेख है कि माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रीवा के निर्देशों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. संजीव शुक्ला एवं सिविल सर्जन डा. प्रतिभा मिश्रा ने संयुक्त रूप से जिला अस्पताल कुशाभाउ ठाकरे रीवा में हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। जिसका मुख्य उद्देश्य सुव्यवस्थित मतदाता



रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के प्रथम दिवस 28 मार्च को किसी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय

राजस्व वसूली में तेजी लाने अधिकारियों को दी हिदायत न्यायालयीन मामलों में तत्परता से जवाब प्रस्तुत करने निर्देश



कलेक्टर अवि प्रसाद ने समय-सीमा की बैठक में न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रेषित पत्रों का जवाब तत्परता से देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते मौजूद रही। कलेक्टर श्री प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-सीमा की बैठक के प्रकरणों से संबंधित मामलों को फाइलें समय पर प्रस्तुत करें। इसके अलावा संबंधित मामलों में यदि विभाग स्तर से कोई कार्रवाई की गई हो तो भी इसकी जानकारी हर हाल में अवगत करवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि



अंतरराष्ट्रीय बस स्टेण्ड हेतु आवंटित शासकीय भूमि की फेंसिंग करवा कर सुरक्षित कर लें। साथ ही आवंटित जमीन पर नगर निगम की भूमि होने का बोर्ड भी लगा दें। कलेक्टर ने माईनिंग, शिक्षा, राजस्व, खाद्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की

गांजा तस्कर बना शराब ठेकेदार आबकारी अधिकारी ने दिया मंत्र

रीवा। जिला आबकारी अधिकारी ने एक बार फिर से गांजा तस्कर के हथौथे शराब दुकान सौंप दी। मजे की बात तो यह है कि आबकारी अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए उसके कान में ऐसा मंत्र भरा कि टेंडर डालने के पहले ही अपने चेहरे में मां काली इंटरप्राइजेज का मुखौटा लगा लिया। और शासन के निर्धारित राशि से कम पर नईगढ़ी शराब दुकान समूह पर 9 करोड़ 56 लाख रूपये की बोली लगाकर हथिया लिया। इस बात की खबर जैसे ही आबकारी अमले सहित शराब कारोबारियों के बीच निकल कर सामने आई तो चर्चा का विषय बन गई। चर्चाओं में बताया कि विगत वर्ष गांजा तस्कर सत्येंद्र उर्फ पिंटू साकेत ने चाकघाट शराब दुकान समूह में टेंडर डाला था और दुकान का लाइसेंस भी बन गया था। टेंडर हासिल होते ही कई नामी-गिरामी तस्करों और पूंजीपतियों को पार्टनर बना कर राशि हासिल कर शासन की प्रतिभूति राशि अपने नाम जमा कर दी। दुकान को संचालित हुए दस दिन ही गुजरे थे कि मा. न्यायालय ने चाकघाट शराब दुकान के लाइसेंस गांजा तस्कर सत्येंद्र उर्फ पिंटू को गांजा तस्करों में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया था। लेकिन तस्कर के चहेते आबकारी अधिकारी दो माह तक उसकी दुकान चलाने दी और उसके बदले जमकर उनसे पार्टनरों सहित लाइसेंसों के करीबियों का शोषण किया। लेकिन मामला मीडिया में उछाल लेने से दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और उसका फिर से टेंडर हुआ। लेकिन उसकी प्रतिभूति राशि आबकारी विभाग में सुरक्षित रखी रही। उसके जेल से छूटने पर जिला आबकारी अधिकारी ने देखा कि जिले की शराब दुकानों में टेंडर डालने के लिए कोई ठेकेदार रूचि नहीं दिखा रहे तो गांजा तस्कर को ऑफिस बुलाकर कान में मंत्र फूंक दिया। इतना ही नहीं उसकी पिछली जमा प्रतिभूति राशि थमा कर उसके हाथ मजबूत कर दिये। बताया जाता है कि सजाया ता गांजा तस्कर अपने पार्टनरों का पैसा लौटाने के बजाया उक्त राशि से नईगढ़ी शराब दुकान में टेंडर डाल दिया।